



समक्ष में- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म०प्र०)

पुनरीक्षण क्रमांक

गैरनिगरानी/छतरपुर भू-रा/२०१७/१७५९

२१

उर्गेश दुवे तनय श्री किशोरी लाल दुवे

निवसी - छतरपुर तहसील व जिला - छतरपुर म.प्र.)

विनोद भागव, कागि

१२-६-१७

निगरानीकर्त / आवदेक

१२-६-१७

बनाम

मध्य प्रदेश शासन गैरनिगरानीकर्ता

/अनावदेकपुनरीक्षण विरुद्ध आदेश दिनांक १९/५/१७ जो १९/०५/१७

छतरपुर द्वारा ममाला क्रमांक ५३/अक्र३/२०१६-२०१७ को पारित किया।

विनोद भागव, कागि श्रीमान्,

१२-६-१७

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन सादर प्रस्तुत करना है:-

१-यह कि पुनरीक्षणकर्ता का संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि आवदेक को सक्षम अधिकारी नायव तहसीलदार छतरपुर द्वारा दिनांक २०/११/१९७६ को नामांतरण पंजी क्रमांक २२ वर्ष १९७५-७६ के द्वारा भूमि स्वसरा नं. ८४१ के अंश भाग का गैर हकदार से भूमि स्वामी किए जाने का आदेश पारित किया था लेकिन ग्राम पटवारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाहन न कर उक्त आदेश दिनांक २०/११/१९७६ का अमल राजस्व अभिलेखों में नहीं किया वल्कि मनमाने रूप से शासन म.प्र भूमि पर वगैर किसी समक्ष अधिकारी के आदेश के लेख कर दी ।

उर्गेश दुवे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

2

प्रकरण क्रमांक निग.-1749-एक/2017

जिला-छतरपुर

उमेश विरुद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-10-18	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री सुनील जादौन एवं शासकीय अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित।</p> <p>(2) आवेदक अभिभाषक अपने निगरानी आवेदन को चालाना नहीं चाहते हैं, उनके द्वारा Not press of Application का अनुरोध किया है।</p> <p>(3) शासकीय अभिभाषक को उक्त अनुरोध पर आपत्ति नहीं है।</p> <p>(4) दिनांक 07.09.2017 की आदेश पंजिका अनुसार आवेदक का आवेदन ग्राह्य किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मांगा गया था, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होने के कारण नस्ती में सलग्न नहीं है।</p> <p>(5) आवेदक अभिभाषक के अनुरोध को स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p>(6) अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख नहीं भेजने हेतु भी लिखा जाये।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>10.10.18</p>